

पत्र संख्या : ८ब/४७०१ योजना जल सं०-०१/२०१२ २४२

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक २१-३-१३

विषय :- मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष -८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष -७१-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत ११-१२ में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180800710545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-२ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख रु. में) |
|------|--|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य | लघु शीर्ष -८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष -७१-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत ११-१२ में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व, | ०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180800710545 | ०.०० |

शुद्ध आवंटित राशि - ₹ शून्य मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के संशोधित बजट उपबंध रु. १५००.०० लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.१९९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट २ पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

SSCC
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

69
(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

SSCC
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

BB
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- २५२

रॉची, दिनांक :- २१-०३-१३

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- २५२

रॉची, दिनांक :- २१-०३-१३

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबेदार कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक २५२

दिनांक २४-०३-१३

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मोर्ग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य,

लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय,

उप शीर्ष-७१-छोटानगपुर एवं संथाल पश्चना सिंचाई परियोजना अंतर्गत ११-१२ में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, ४९P470180800710545
वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट उपबंध १५००.०० लाख (पन्द्रह करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमङ्गल का नाम अभियंता | मुख्य योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | मार्च २०१२ तक का व्यय | शीघ्रान्तीत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में आवंटन | | | | | |
|------|----------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--|----|----|
| | | | | | | पूर्व का आवंटन | शुद्ध आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि | अभ्युक्ति | १० | ११ |
| १ | जलपथ प्रमङ्गल, बरही | हजारीबाग पंचखोरे जलाशय योजना | ७५६८.९७ २५ /०७-०८ प्र०स्त्री० दि०-२३.०८.०७ | ६०७०.०१ ८१६.२८१८३ ०.००००० | ८१६.२८१८३ ८१६.२८१८३ ८१६.२८१८३ | ८१६.२८१८३ ८१६.२८१८३ ८१६.२८१८३ | ०.००००० | ८१६.२८१८३ | अतिरिक्त आवंटन परिशिष्ट-२, में वर्णित कार्य हेतु | | |
| | | कुल योग | ८१६.२८१८३ | ०.००००० | ८१६.२८१८३ | | | | | | |
| | | शुद्ध आवंटित राशि - ₹ शून्य मात्र। | | | | | | | | | |

(मुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(ज्योति प्रकाश भट्टाचार्य)
उप सचिव (अभिः)

(सुबोध कुमार सिंह)

(बी. सी. निगम)

(एस० कौतपथी)

प्रधान सचिव

पत्रांक :- २५२

दिनांक ११-०३-१३

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड : 49P470180800710545

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. प्रमङ्गल का नाम | योजना का नाम | कार्य का विवरण | एकरारनामा सं० / तिथि | पूर्व का आवंटन | प्रत्यर्पण | अतिरिक्त आवंटन | शुद्ध अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटित राशि | अभ्युक्ति |
|------------------------------------|---|------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------|
| चालू कार्य | | | | | | | | | |
| i | Construction of Aqueduct at ch. 11.00 of LMC of Panchkhero Res. Scheme | | | 0.00000 | 0.00000 | 35.00000 | 35.00000 | 35.00000 | |
| ii | Residual work of Dam Outlet (Left) at 1488.0 M | | | 3.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | |
| iii. | Const. of Guard wall over spillay | | | 0.65000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.65000 | |
| iv | Const. of C.D at Ch. 4.00 of L.M.C. | | | 8.35000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8.35000 | |
| v | Residual work of from Ch. 0.50 to Ch. 20.50 of RMC. | | | 5.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5.00000 | |
| vi | Annual Repair and maintenance of IB at Marckacho, Barhi & Hazaribag | | | 3.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | |
| Total | | 20.00000 | | 0.00000 | | 35.00000 | 35.00000 | 55.00000 | |
| नये कार्य | | | | | | | | | |
| i | Construction of Escape in RMC & LMC | 2F2/12-13 | 6.83600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.83600 | |
| ii | Construction of Outlet in LMC | | 11.31600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11.31600 | |
| iii. | Construction of DLR bridge at Ch. 75.70 of RMC | | 10.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10.00000 | |
| Total | | 28.15200 | | 0.00000 | | 0.00000 | 0.00000 | 28.15200 | |
| चालू कार्य | | | | | | | | | |
| Head Works- | | | | | | | | | |
| i | River Closure (1200.00 M to 1370 M) with Construction of Cofferdam | SBD-01/11-12 | 512.00000 | 0.00000 | 35.75834 | 35.75834 | 35.75834 | | |
| ii. | Residual work of Earthen Dam from 1370.00 to 2182.00 M and left dyke O to 254 M | 03F2/05-06 | 50.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 50.00000 | |
| iii. | Residual work of Spill Channel | 01F2/07-08 | 100.00000 | 70.75834 | 0.00000 | -70.75834 | 29.24166 | | |
| iv | Distribution System (Main Canal) - Earth work from ch. 0.000 to ch. 20.00 of LMC | 05F2/05-06 | 1.10000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.10000 | |
| v | Residual earth work from ch. 20.00 to ch. 45.47 of LMC | 21F2/09-10 | 2.33000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.33000 | |
| vi | Residual earth work from ch.45.47 to ch. 109.47 of LMC | 01F2/09-10 | 1.51000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.51000 | |
| vii | Residual earth work from ch.133.77 to ch. 172.00 of LMC | 09F2/07-08 | 3.19000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.19000 | |
| viii | Construction of H/R-cum-C/R | 10F2/07-08 | 3.30000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.30000 | |
| ix | Residual earth work from ch. 20.50 to ch. 45.10 of RMC | 02F2/02-03 | 1.18000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.18000 | |
| x | Construction of CD at ch. 29.50 & 41.00 of RMC | 14F2/02-03 | 1.77000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.77000 | |
| Total | | 676.38000 | | 70.75834 | | 35.75834 | -35.00000 | 641.38000 | |
| नये कार्य | | | | | | | | | |
| I | A-Preliminary | | | 2.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.00000 | |
| Head Work - | | | | | | | | | |
| i | Cleaning Hume Pipe, stilling basin thrash rack of right and left outlet. | | | 1.50000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.50000 | |
| ii. | Constructionn of 2 Nos. Ramp, 2 Nos. Culvert and Road over Ramp. | | | 20.81000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 20.81000 | |
| iii. | Inspection vehicle | | | 3.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | |
| Total | | 27.31000 | | 0.00000 | | 0.00000 | 0.00000 | 27.31000 | |
| न्याय निर्णय से संबंधित कार्य | | | | | | | | | |
| I | भू-अर्जवाद नं.-273/09 से 337/09 में दिनांक 30.04.2011 को पारित न्याय निर्णय एवं न्यायालय पंचाट के अनुसार घोषित एवार्ड की राशि के भुगतान हेतु। | | | 64.43983 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 64.43983 | |
| Total | | 64.43983 | | 0.00000 | | 0.00000 | 0.00000 | 64.43983 | |
| G. Total | | 816.28183 | | 70.75834 | | 70.75834 | 0.00000 | 816.28183 | |
| शुद्ध आवंटित राशि - ₹ शून्य मात्र। | | | | | | | | | |

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभि.)

(सुबोद्ध कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव